122

56.708

अवर सचिव कोषांग, विधि विभाग
0 9 MAR 2022
बिहार सरकार

समाहरणालय, बेगूसराय
(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक......554..... / रा0 दिनांक...9.03.22........./

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
बेगूसराय।

सेवा में,

उमेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, बिहार,

विषय :– बिहार विधान में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1255 / जे0 दिनांक–05.03.22 .

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वांछित सूचना निम्न प्रकार है:–

प्रश्न	उत्तर
(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या–4850 / 2021 (Arising Out of SLP(CIVIL) No.-33675 Of 2017) के अनुसार कंडिका–27 में देश के सभी राज्यों के मठ / मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	अंचलाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अभी तक कोई भी ऐसे मामले प्रतिवेदित नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
(2) अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ / मंदिर, जो निबंधित / अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार / जिलावार खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।	मुंगेर प्रमण्डल अंतर्गत बेगूसराय जिला में निबंधित एवं अनिबंधित कुल 249 धार्मिक न्यास पर्षद मामलों में 878.33 एकड़ भूमि सन्निहित है। इसकी विस्तृत विवरण खाता, खेसरा एवं रकवावार अनुलग्नक–1 में संलग्न की जाती है।
(3) अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित / सर्वेक्षित मठ / मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	इस कार्यालय के पत्रांक 3223 / रा0 दिनांक 29.09.2021 द्वारा सभी अंचल अधिकारियों, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, बेगूसराय जिला को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। अंचल अधिकारियों से अबतक आवंटन की मांग नहीं की गयी है।

(4) अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं विक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	वीरपुर अंचल में रामजानकी ठाकुरबाड़ी नौला में अतिक्रमण का मामला प्रतिवेदित है। 61 लोगों के द्वारा फुस/झोपड़ी का घर बनाया गया है। इस मामले में भगवानपुर थाना कांड सं0 209/14 में प्राथमिकी दर्ज है। इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण वाद सं0 01/2021–22 प्रारंभ कर 61 व्यक्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु नोटिस भेजा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी अंचल से इस प्रकार के अवैध कब्जा संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

05/03/22

समाहर्त्ता,

बेगूसराय।